1	2	3
10. वी॰के॰ भावरा	भा॰पु॰से॰	विवाह
11. राजीव रंजन वर्मा	भा॰पु॰से॰	विवाह
12. सीमा अग्रवाल	भा॰पु॰से॰	विवाह

भ्रष्टाचार की रोकथाम

3749. **श्री राम सिंह राठवा:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए निवारण, निगरानी और सुरागरसानी की एक तीन-सूत्री रणनीति अपनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान इस कार्य में क्या प्रगति हुई है और कितने अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा): (क) और (ख) सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भारत सरकार ने एक त्रि-सूत्री कार्यप्रणाली अर्थात् निवारक, निगरानी सुरागरसानी तथा निवारक दण्डात्मक कार्यवाई अपनाई है। इन नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसरण में विगत की भांति इस वर्ष भी सर्तकता तथा भ्रष्टाचार निरोधी उपायों पर एक विस्तृत वार्षिक कार्य योजना तैयार की गई है। मंत्रालयों/विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सभी प्रशासनिक एककों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा अपने नियन्त्रणाधीन अन्य कार्यालयों द्वारा उक्त कार्य योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें और साथ ही इसके कार्य-निष्पादन का उच्चतम स्तर पर आवधिक पुनरीक्षण करें। चूंकि यह निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है तथा उपेक्षित कार्रवाई मंत्रालयों/विभागों तथा सम्पूर्ण देश में उनके नियंत्रणाधीन सरकारी कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा की जाती है अतः अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाई का ब्यौरा देना सम्भव नहीं है।

Central Vigilance Commission as a statutory body

3750. DR. SANJAYA SINH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government propose to make the Central Vigilance Commission a Statutory body; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SMT. MARGARET ALVA): (a) and (b) No, Sir. There is no such proposal under consideration of Government.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भ्रष्टाचार

3751. **श्री राम सिंह राठवा:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग के अधीन उपक्रमों/संगठनों में भ्रष्टाचार होने की सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है और उनमें से कितने अधिकारियों को नौकरी से निकाला गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि भ्रष्टाचार और कदाचार के मामलों में सजा के रूप में अधिकारियों का केवल स्थानांतरण मात्र कर दिया जाता है; और

(घ) भ्रष्ट और बेईमान अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा): (क) से (घ) हालांकि कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के नियंत्रण में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है तथापि इस मंत्रालय के तत्वाधान में कुछ पंजीकृत सोसायटियां कार्य कर रही हैं, जिनमें से केवल एक अर्थात केन्द्रीय भंडार के बारे में पिछले तीन वर्षों के दौरान अधिक कीमत लेने के सात मामले पाए गए हैं। केन्द्रीय भंडार द्वारा इन मामलों में 8 कर्मचारियों के विरुद्ध वेतन-वृद्धि रोकने की शास्ति लगायी गयी है। फिर भी उपर्युक्त सभी संगठन उन क्षेत्रों पर लगातार नजर रखते हैं जहां भ्रष्टाचार की संभावना होती है और इससे सम्बन्धित उपयुक्त निवारक कदम उठाते हैं। भ्रष्टाचार की कोई शिकायतें, यदि कोई हों मिलने पर उनकी जांच की जाती है और जहां भी आवश्यक समझा जाता है। दोषी अधिकारियों की विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाती है।